न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0—18/21—22

अजय दास बनाम तुलसी यादव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
21.09.22	अंचल अधिकारी, हंटरगंज का पत्रांक—28, दिनांक—11.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के न्यायालय का विविध वाद संख्या—52/2021 अजय दास बनाम तुलसी यादव से संबंधित मूल अभिलेख मौजा—लोहसिंघना, खाता सख्या—37, प्लॉट संख्या—234, रकवा—0.91 एकड़ भूमि का कायम जमाबंदी धनेश्वरी देवी के नाम से जो कि पंजी—2 के पृष्ठ संख्या—175/2 पर अंकित है, उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने—अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—**" यह कि उक्त वाद अंचल अधिकारी, हंटरगंज का पत्रांक नं0 28 दिनांक 11.01.2022 द्वारा विविध वाद संख्या 52/2021, अजय दास बनाम तुलसी यादव के पूर्वज के नाम से मौजा लोहसिंघना, खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 डी0 जमीन का कायम जमाबंदी धनेश्वरी देवी के नाम डिमाण्ड पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा करके भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। उक्त के आलोक में यह वाद विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्त, चतरा के न्यायालय में	

प्रारम्भ की गई। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के न्यायालय से संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात के साथ उपस्थित होकर अपना-अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। संबंधित पक्षकार नोटिस प्राप्ति के पश्चात् अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन प्रस्तुत किया। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में यह उल्लेखित किया गया है कि मौजा लोहसिंघना थाना हंटरगंज पुरना जिला हजारीबाग, नया जिला चतरा **सर्वे खतियान में मंगल चमार पिता झरी चमार के नाम से दर्ज है।** सर्वे खयितानी रैयत अपने जीवन काल तक स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा में रहकर विभिन्न तरह का फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे, जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया। यह कि प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत खाता संख्या 37, खेवट संख्या 05 से बना जो शामिलात मालिकान खेवट संख्या 05 दर्ज हैं। प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि खेवट संख्या 05 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 05 शामिलात मालिक मुन्दरजे खेवट संख्या 03 एवं 04 अंकित है। खेवट संख्या 03 का खेवटदार चुल्हन कुम्हार 01 हिस्सा वो मुल्हन कुम्हार 01 हिस्सा दर्ज है। खेवट संख्या 04 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 04 का खेवटदार चुल्हन कुम्हार वो मुल्हन वगैरह के नाम से दर्ज है। उपरोक्त खेवट में कही भी गणेश नारायण सिंह का नाम दर्ज नहीं है, इसलिये गणेश प्रसाद सिंह को द्वितीय पक्ष के पूर्वज धनेश्वरी देवी के नाम से हुकुमनामा के द्वारा जमीन बंदोबस्त करने अधिकार नहीं था। यह कि प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि सर्वे रैयत मंगल चमार अपने पिछे दो पुत्र बिगन चमार एवं गौरी चमार को छोड़कर मरे तथा अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति

पर उतराधिकार में प्राप्त करके दखल–काबिज हुए एवं स्वामित्व अधिकार में आये। बिगन चमार के तीन पुत्रगण क्रमशः सीताराम दास, कपिलदेव दास एवं अर्जुन दास को छोड़कर मरे। सीताराम दास भी अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः विजय दास, संजय दास एवं अजय दास को छोड़कर मरे तथा प्रश्नगत भूमि पर संयुक्त रूप दखल–काबिज हुए यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में आगे यह भी उल्लेखित किया गया है कि सर्वे रैयत का द्वितीय पुत्र, गौरी चमार अपने पीछे चार पुत्रगण क्रमशः रामदेव दास, ब्रहमदेव दास, सहदेव दास, राजदेव दास, को छोड़कर मरा तथा अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति प्रश्नगत भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संयुक्त रूप से दखल–काबिज हुए। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपने लिखित कथन में सर्वे खतियान रैयत मंगल चमार का वंशावली दर्शाय गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

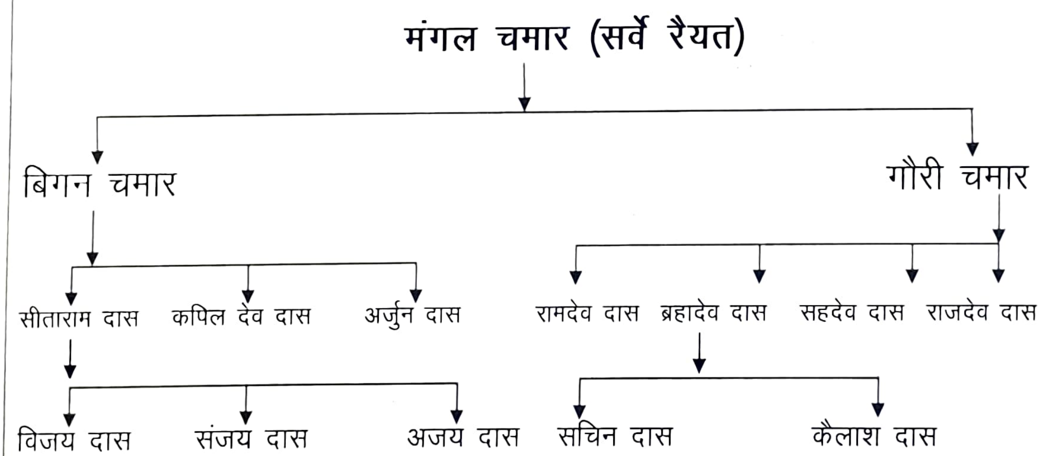

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा हरिजन जाति के अंतर्गत आते हैं एवं गरीबी के कारण मालगुजारी नहीं देने के कारण सरकारी रसीद नहीं कटवा सके। खतियानी रैयत मंगल चमार प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत भूमि का कभी सरेण्डर या इस्तिफा नहीं किया है। यह कि प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि खतियानी जमीन का हुकुमनामा जमीन्दार को देने का अधिकार नहीं है, द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा

कोई विश्वसनीय दस्तावेज अंचल कार्यालय या रेभन्यु अभिलेख में उपलब्ध नहीं है कि खतियानी रैयत मंगल चमार द्वारा प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत इस्तिफा या सरेण्डर दिया हो, छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट (C.N.T. Act 1908) की धारा 73 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि किसी विधि से खतियानी जमीन का जमीन्दार द्वारा खतियानी रैयत से जमीन का निम्न परिस्थिति में भूमि का निलाम किया जा सकता था:–

1. रैयत अगर गॉव छोड़कर भाग गया हो।

2. रैयत अगर जमीन्दार को लगान नहीं दिया हो।

उपरोक्त परिस्थिति में जमीन्दार द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में निलाम करने हेतु वाद दायर किया, वहॉ से कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जमीन्दार द्वारा किसी रैयत को जमीन बन्दोबस्त कर सकता था, लेकिन इस वाद में रेभन्यु अभिलेख या अंचल कार्यालय में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि खतियानी रैयत द्वारा इस्तिफा या सरेण्डर किया हो तथा जमीन्दार को भूमि कैसे हासिल हुआ। प्रथम पक्ष के द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि विपक्षी तुलसी यादव द्वारा प्रश्नगत प्लॉट के अंतर्गत भूमि का अपने पूर्वज धनेश्वरी देवी के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार गणेश प्रसाद सिंह द्वारा प्राप्त वर्ष 1942 ई0 में हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्ती के आधार पर दावा किया जाता है, इस संदर्भ में प्रथम पक्ष द्वारा अपने लिखित कथन में इस बात का खुलासा किया गया है कि मौजा लोहसिघंना के गणेश प्रसाद सिंह भूतपूर्व जमीन्दार नहीं थे। खेवट संख्या 05 का जमीन्दार चुल्हन कुम्हार वगैरह थे, इसलिये गणेश प्रसाद को धनेश्वरी देवी के पक्ष मे हुकुमनामा देने का अधिकार नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधि का सिद्धान्त है कि रैयती खतियानी जमीन का जमीन्दार द्वारा जमीन बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं था। As per C.N.T Act के तहत विपक्षी द्वारा दाखिल हुकुमनामा के आधार पर गलत ढंग से कायम जमाबंदी

की मान्यता नहीं दी जा सकती है। हुकुमनामा से प्राप्त भूमि को पुनः केवाला द्वारा बिक्री किये जाने के उपरांत कायम जमाबंदी की मान्यता नहीं दी सकती है। विपक्षीगण द्वारा राजस्व न्यायालय का कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाये कि किनके आदेश से इनके पूर्वज के नाम पर जमाबंदी कायम की गई है। यह कि प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी अभिकथन किया है कि विधि का यह भी सिद्धान्त है कि जिसका टाईटल संदिग्ध है के द्वारा लाया गया केवाला Transfer of property Act के नियमों के विरूद्ध है, जिसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। इसलिये विपक्षी के पूर्वज धनेश्वरी देवी के नाम से गलत ढंग से कायम जमाबंदी का कोई वैधानिक Legal Value नहीं है। As per C.N.T. Act 1908 Sec. 84 which provide that survey record of right is finally published shall be a conclusive evidence that the record of right has been dully made according to law. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के न्यायालय में 144 द0 प्र0 सं0 के तहत विपक्षी तुलसी यादव वगैरह के विरूद्ध एक मुगदमा किया गया था, जिसमें नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी द्वारा अपना Show-cause में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 डी0 जमीन गणेश प्रसाद सिंह के द्वारा वर्ष 1942 ई0 में हुकुमनामा के द्वारा जमीन बन्दोबस्त किया गया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नगत खाता संख्या 37, खेवट नं0 05 से बना तथा खेवट का यह बात स्पष्ट रूप से अंकित है कि खेवट नं0 05 शामिलात मालिकान मुन्दरजे खेवट नं0 03 एवं 04 अंकित है, जिसके खेवटदार कुन्दन कुम्हार वो मुन्दन कुमर के नाम से दर्ज है, तब किस आधार पर विपक्षी गणेश प्रसाद सिंह द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त भूमि का दावा किया जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है। विपक्षी द्वारा एक जाली हुकुमनामा बनवाकर हरिजन जाति की भूमि को हड़पने के नियत से गलत दावा किया जाता है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में आगे

यह भी उल्लेखित किया गया है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा राजस्व कर्मचारी द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.05.2020 को समर्पित करते हुए कहा कि डिमाण्ड पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 195/2 पर धनेश्वरी देवी के नाम से जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केस संख्या 259/1997–98 है। इसके पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा अंचल कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदन पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर अंचल कार्यालय द्वारा राजस्व अभिलेख का अवलोकन के पश्चात् यह सूचना उपलब्ध कराते हुए कहा गया कि दाखिल खारिज केस संख्या 259/1997–98 किस अन्य रैयत सोहराई यादव पिता रघनु यादव, ग्राम डुमरिया, थाना हंटरगंज के नाम से खाता संख्या 55, प्लॉट संख्या 992, रकवा 0.03 डी0 दर्ज है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा डिमाण्ड पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 259/1997–98 धनेश्वरी देवी के नाम से डिमाण्ड का दावा निराधार एवं विधि संगत नहीं है। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा सभी तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन के पश्चात् विधि संगत आदेश पारित किया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा पारित आदेश विविध वाद संख्या 52/2021 दिनांक–29.12.2021 का अनुमोदन करने का दया दर्शावे तथा विपक्षी के पूर्वज धनेश्वरी देवी के नाम से चल रही जमाबंदी को कैन्सिल करने का दया दर्शावे।''

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–'' यह है कि आवेदक के द्वारा दाखिल मुकदमा पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अनुसार भू–वापसी के लिए समय सीमा 30 वर्ष ही हैं। यह कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने भी यह व्यवस्था दी हैं कि रैयत के लिए मुख्य तीन वाते साबित करना हैं जमीन पर खेती करना तथा सरकार को मालगुजारी

देना। यह है कि आवेदक के आवेदन से स्पष्ट हैं कि आवेदक या उनके वारिसान के द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् रसीद कटवाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कि यह भी विविध स्थापित तथ्य हैं कि कोई व्यक्ति किसी भू–खण्ड पर अगर 12 वर्षो से यह अधिक समय से दखलकार हैं तो विवादित जमीन का स्वामित्व वे हैं। यह कि हल्का कर्मचारी एवं सी0आई0 के द्वारा भौतिक जॉच के क्रम में पाया गया है कि विवादित जमीन में विपक्षी का घर बना हुआ हैं। यह कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71 से 73 तक रैयत के अधिकार की विवेचना की गयी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 1946 के पूर्व सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कि दफा 72 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम में रैयत को अपनी भूमि जमीन्दार को वापस कर देना था। यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान के अलावे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी हैं कि सिर्फ खतियान स्वत्व का प्रमाण नहीं हैं, बल्कि यह साबित करता हैं कि सर्वे के समय रैयत दखल में था। यह है कि विपक्षी अपने दावा के समर्थन में अपना कागजात प्रस्तुत किये हैं तथा दखल कब्जा की भौतिक सत्यापन में भी विपक्षी का दखल पाया गया तथा घर पुराना भी पाया गया। यह कि आवेदक का दावा गलत एवं बेबुनियाद कालबाधित हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2021 को निरस्त की जाय।''

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–यह अभिलेख अजय दास, पिता–स्व0 सीताराम दास बनाम तुलसी यादव, पिता–स्व0 पन्नु यादव दोनो ग्राम–लोहसिंघना के बीच खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 भूमि से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया गया कि मौजा–लोहसिंघना, खाता संख्या 37,

प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 भूमि आवेदक के परदादा स्व0 मंगल चमार, पिता–स्व0 झरी चमार के नाम से खतियानी भूमि है। उक्त भूमि पर तुलसी यादव, पिता स्व0 पन्नु यादव, ग्राम–लोहसिंघना के द्वारा बाजबरन मकान निर्माण किया जा रहा है। आवेदक के आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मॉग किया गया। इस बीच दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात वो लिखित ब्यान की निम्नवत राजस्व कागजात समर्पित किया गयाः–

<u>प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात का विवरणः–</u>

- खतियान की सत्यापित छायाप्रति।
- अपने पक्ष में लिखित ब्यान 10 (दस) पृष्ठ में।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात का विवरणः–

- न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकरी, चतरा वाद संख्या 32/2020 धारा 144 द0 प्र0 सं0 का सत्यापित प्रति।
- लगान रसीद संख्या 0920361255/2020–21, 3996411/2013, 691940/98–99 का छायाप्रति।
- हुकुमनामा का छायाप्रति।

राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदनः– राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि मौजा–लोहसिंघना के खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, कुल रकवा 0.91 0 भूमि आवेदक के छरदादा मंगल चमार, पिता झरी चमार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। भूमि रैयती खाते की हैं। स्थानीय जॉच किया एवं पाया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के द्वारा मकान कार्य का निर्माण किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि पर धारा 144 न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा लगाया गया है। प्रश्नगत भूमि का राजस्व कागजात का अवलोकन किया जिसमें पाया कि द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के मॉ धनेश्वरी देवी के नाम

से पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 दर्ज है। द्वितीय पक्ष को भूमि हुकुमनाम से प्राप्त है। ग्रमीणों से पुछताछ किया जिसमें लोगो के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का लगभग 50–60 वर्ष से दखल–कब्जा है। भवन निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया गया है वर्तमान में कोई कार्य नही हो रहा है। **प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित ब्यानः**–यह कि प्रस्तुत अभिलेख का संधारण आवेदकगण के आवेदन पत्र के आधार पर प्रारम्भ करके संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत कर मूल कागजतों की मांग की गई। संबंधित पक्षकार उपस्थित होकर अपना–अपना कागजात एवं जवाब दाखिल किया गया। आवेदक/प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0, मौजा लोहसिंघना, थाना हंटरगंज, जिला चतरा सर्वे खतियान में मंगल चमार पिता झरी चमार के नाम से रैयती दर्ज है। सर्वे रैयत मंगल चमार अपने जीवन काल तक प्रश्नगत भूमि पर दखल काबिज होकर स्वामित्व अधिकार में रहकर विभिन्न तरह का फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे आवेदक/प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि सर्वे रैयत अपने जीवनकाल तक प्रश्नगत भूमि के बावत लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त कियें। यह कि खाता संख्या 37, खेवट संख्या 05 से बना है जो सामिलात मालिकान खेवट संख्या 05 दर्ज हैं। यह कि प्रथम पक्ष/आवेदक ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि खेवट संख्या 05 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 05 सामिलत मालिकान मुन्दुरजे खेवट संख्या 03 वो खेवट संख्या 04 अंकित है। खेवट संख्या 03 का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसके खेवटदार चुल्हन कुम्हार (1) हिस्सा के मुल्हन कुम्हार (1) हिस्सा दर्ज है। खेवट में गणेश प्रसाद सिंह

कही भी दर्ज नहीं है। इसलिए गणेश प्रसाद सिंह को हुकुमनामा देने का कोई अधिकार नहीं था। यह कि प्रथम पक्ष/आवेदक अजय दास वगैरह के द्वारा प्रस्तुत जवाब में आगे यह भी उल्लेखित किया है कि सर्वे रैयत मंगल चमार अपनी पीछे दो पुत्र क्रमशः विगन चमार एवं गौरी चमार को छोड़कर मरे तथा अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति पर उतराधिकारी में प्राप्त करके दखल काबिज हुए। सर्वे रैयत का प्रथम पुत्र बिगन चमार अपने पीछे तीन पुत्रगण क्रमशः सीताराम दास, कपिलदेव दास एवं अर्जुन दास को छोड़कर मरे तथा अपने पिता द्वारा हासिल सम्पति पर उपरोक्त बिगन चमार के पुत्रगण संयुक्त रूप से दखल काबिज हुए। सीताराम दास भी अपने पीछे तीन पुत्रगण क्रमशः विजय दास, संजय दास, एवं अजय दास को छोड़कर मरें। यह कि प्रथम पक्ष/आवेदकगण के द्वारा लिखित कथन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सर्वे रैयत का दुसार पुत्र गौरी चमार अपनी पीछे चार पुत्रगण क्रमश' रामदेव दास, ब्रहम्देव दास, सहदेव दास एवं राजदेव दास को छोड़कर मरे तथा अपने पिता द्वारा हासिल प्रश्नगत भूमि को संयुक्त रूप से दखल काबिज हुए तथा विभिन्न तरह का फसल उपजाकर जोत–कोड़ करते आ रहे। ब्रहम्देव दास भी अपने पीछे तीन पुत्र सचिन दास, कैलाश दास, एवं सचिन दास को छोड़कर मरें। यह कि प्रथम पक्ष/आवेदकगण ने अपने लिखित कथम में यह भी कथन किया है कि आवेदकगण/सर्वे रैयत के वंशज है तथा प्रश्नगत भूमि इनका सर्वे खतियान (पुश्तैनी) भूमि है। आवेदकगण चूँकि एक गरीब एवं अनुसूचित जाति के है। गरीबी के कारण पूर्व में प्रश्नगत भूमि का सरकारी मालगुजारी रसीद नहीं कटवा सकें। यह कि पारिवारिक वंशवृक्ष (वंशावली) के अनुसार आवेदकगण/प्रथम पक्ष खतियानी भूमि का सरकारी मालगुजरी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल कार्यालय, हंटरगंज में आवेदन पत्र दाखिल किया है। यह कि प्रथम पक्ष/आवेदकगण द्वारा दाखिल लिखित कथन में आगे यह भी

उल्लेख किया है कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि के बावत जाली दस्तावेज हुकुमनामा बनवाकर दावा किया जाता है। यह कि आवेदक/प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित कथन में आगे यह भी कथन किया है कि द्वितीय पक्षगण प्रश्नगत भूमि का भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत हुकुमनामा के आधार पर दावा किया जाता है। प्रथम पक्ष/आवेदक ने आगे यह भी बतलाया कि मौजा लोहसिंघना के भूतपूर्व जमीन्दार गणेश प्रसाद सिंह नहीं थे। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सकें कि खतियानी रैयत जमीन्दार का इस्तीफ या अबडन किया है। C.N.T Act 1908 की धारा 73 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि किस विधि से खतियानी रैयत की भूमि हुकुमनामा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूतपूर्व जमीन्दार को सिर्फ गैरमजरूआ खास भूमि का ही हुकुमनामा देने का प्रावधान था। C.N.T Act 1908 की धारा 73 के अनुसार भूतपूर्व जमीन्दार खतियानी रैयत से निम्न परिस्थिति में ही भूमि को नीलाम किया जा सकता था। रैयत अगर गॉव छोड़कर भाग गया हों। रैयत अगर जमीन्दार को लगान नहीं दिया हो। उपरोक्त परिस्थति में भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा उपायुक्त के न्यायालय से भूमि का नीलाम करने हेतु वाद दायर किया जाता था। वहॉ से कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत उक्त भूमि की नीलामी होती थी। तदोपरांत किसी रैयत को ''हुकुमनामा'' के द्वारा बंदोबस्त किया जाता था। वतमान मामले में विपक्षीगण के द्वारा दाखिल हुकुमनामा को C.N.T Act के तहत् स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त हुकुमनामा के आधार पर कायम जमाबंदी की मान्यता भी नहीं दी जा सकती है। ''हुकुमनामा'' से प्राप्त भूमि को पुनः केवाला द्वारा बिक्री किये जाने के उपरांत कायम जमाबंदी को मान्यता नहीं [illegible] जा सकती है। विपक्षीगण द्वारा किसी भी राजस्व न्यायालय का कागजात [illegible] पाये कि किनके आदेश से उनके नाम पर जमाबंदी कायम [illegible] आवेदकगण अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है

कि द्वितीय पक्षगण/विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खयितान रैयत से भूमी नीलाम होकर जमीन्दार को भूमि हासिल हुआ है। उसका कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षीगण द्वारा रैयत द्वारा कोई इस्तीफानामा Abandon संबंधित दाखिल नहीं किया गया है। यह कि आवेदकगण/प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथम में आगे यह कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी जिसका टाईटल संदिग्ध है कि द्वारा वैधानिक अस्तित्व है। यह कि आवेदकगण/प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथम में यह उल्लेख कहा कि As per CNT Act 1908 sec 84 (3) which provides thate survey record of right is finally published it shall be conclusive evidence that the recored of right has been dully made according to low यह कि प्रथम पक्षगण/आवेदक ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी उल्लेखित किया है कि प्रथम पक्ष/आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के माध्यम से स्थानीय पुलिस से जॉच रिपोर्ट की मांग की गई तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् 144 CRPC का मुकदमा दायर करते हुए विपक्षीगण तुलसी यादव वगैरह के विरूद्ध नोटिस निर्गत किया गया नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित कथन (Showcause) दाखिल किया जिसमें विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन के कंडिका 6 एवं 7 यह उल्लेखित किया है कि धनेश्वरी देवी के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार गणेश प्रसाद सिंह, खाता संख्या 37 प्लॉट संख्या 234, रकवा–0.91 ए0 भूमि वर्ष 1942 ई0 में हुकुमनामा के द्वारा जमीन बन्दोबस्ती से हासिल है, इसके संदर्भ में आवेदकगण ने अपने लिखित कथन के पूर्वपारा में यह Point out कर चुके है कि गणेश प्रसाद सिंह, मौजा लोहसिघाना के खेवट संख्या 05 के जमीन्दार नहीं थे इसलिए वर्ष 1942 ई0 में धनेश्वरी देवी को "हुकुमनामा" के द्वारा जमीन बन्दोबसत करने का अधिकार नहीं था। यह

कि आवेदकगण/प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन मे आगे यह भी कथन किया है कि आवेदक द्वारा अंचल कार्यालय मे आवेदन पत्र के आलोक में अचंल अधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी से स्थल जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थल जॉच पडताल के पश्चात् अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.05.2020 को समर्पित करते हुए कहा है कि डिमाण्ड पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 195/2 पर धनेश्वरी देवी के नाम से जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 दर्ज है। आवेदक द्वारा जब अंचल कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु जमाबंदी को सूचना उपलब्ध कराये वो आवेदन पत्र दाखिल किया तथा अंचल कार्यालय में उपलब्ध दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 का जॉच पड़ताल के पश्चात् कार्यालय में उपलब्ध दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 किसी अन्य रैयत सोहराई यादव, पिता रखुन यादव, ग्राम डुमरिया थाना हंटरगंज, जिला चतरा, के नाम से खाता संख्या 55, प्लॉट संख्या 992, रकवा 0.03 ए0 दर्ज है। इस तरह विपक्षीगण एक जालसाजी के तहत् पूर्व में जाली कागजात के आधार पर धनेश्वरी देवी के नाम से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश का जमाबंदी कायम करवाया है, जो विधि संगत नहीं है। यह है कि आवेदकगण अपने लिखित कथन में आगे यह भी कहा है कि आवेदकगण एवं विपक्षीगण मुंशी यादव, तुलसी यादव वगैरह के विरूद्ध अनुमण्डल न्यायालय, चतरा में वाद संख्या 06/20 धारा 107 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही प्रारम्भ हुआ जिसमें स्थानीय पूलिस द्वारा स्थल जॉच पड़ताल के पश्चात् अपना जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के न्यायालय में प्रेषित करते हुए कहा है कि स्थल जॉच के क्रम में द्वितीय पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 मेरे पूर्वजों के नाम से खतियानी जमीन है। जबकि खतियानी रैयत मंगल चमार है तथा विपक्षीगण ग्वाला जाति के है।

इस तरह विपक्षीगण द्वारा भिन्न–भिन्न तथा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत भूमि दावा किया जाता है, जो स्वंय विरोधाभाष एवं विधि के विरूद्ध है। यह कि विपक्षीगण एक बहुसंख्यक एवं दबंग किस्म व्यक्ति है तथा प्रथम पक्ष/ आवेदकगण एक गरीब हरिजन का जमीन को हड़पने के नियम से जाली एवं बनावटी ''हुकुमनामा'' के आधार पर प्रश्नगत भूमि का दावा किया जाता है जो बिल्कुल बेबुनियाद एवं विधि संगत नहीं है। यह है कि आवेदकगण खतियान रैयत के वंशज है तथा प्रश्नगत भूमि इनकी पुश्तैनी भूमि है। सर्वे रैयत के द्वारा अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में केवाला के द्वारा जमीन का बिक्री नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 जमीन का आवेदकगण के नाम से जमीन्दारी खत्म होने की तिथि से बकाया माल लेकर सरकारी रसीद निर्गत करने का आदेश देने का दया दर्शावें। **द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित ब्यानः**–विपक्षीगण निम्नांकित बातो के पूर्व विवरण के साथ यह स्पष्टीकरण आवेदन स्वामित्व के संबंधित कागजातों की छायाप्रति के साथ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा द्वारा वाद संख्या 32/20 के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि जो पारित दिनांक 21.08.2020 को हआ है साथ संलग्न करते हुए प्रस्तुत कर रहे है। यह कि प्रथम पक्षगण/आवेदकगण मौजा लोहसिंघना, थाना–व0 न0 जोरी, जिला–चतरा, के खाता संख्या–37, प्लॉट संख्या–234, रकवा–0.91 ए0 भूमि से संबंधित 144 द0 प्र0 सं0 लाये थें। यह है कि दोनो पक्ष अपना–अपना दावा के संबंध में कागजात हकियत से संबंधित उपरोक्त वाद संख्या 32/2020 में स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किये थें, दोनो के कागजातों के अवलोकनार्थ अपना निर्णय दिनांक 21.08.2020 को दिये है। तदनुसार आपसे सादर अनुरोध है कि आप अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा के आदेश के आलोक में आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत करने के पश्चात् व्यवहार

न्यायालय से अपना दावा प्रमाणित कराने का निर्देश दे चुके, विपक्षीगण का सरकारी मालगुजारी रसीद वर्ष 52–53 से प्राप्त हो रहा है, जिसकी जानकारी के बाद भी आज तक रद्द कराने का कोई कार्रवाई सिकी सक्षम न्यायालय में समक्ष नहीं किये और न व्यवहार न्यायालय से प्रथम पक्ष के हकियत से संबंधित कागजातों को गलत साबित करा सके। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की दया करें।''

अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–''दानों पक्षों के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात वो लिखित बयान तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् निम्नांकित स्पष्ट होता हैः– **खतियान के अनुसार मौजा–लोहसिंघना के खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, कुल रकवा 0.91 ए0 भूमि रैयती खाते की भूमि है। प्रतिवेदित भूमि का खतियानी रैयत मंगर चमार, पिता–झरी चमार हैं।** मौजा–लोहसिंघना, खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 भूमि का जमाबंदी द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के मॉ धनेश्वरी देवी के नाम से पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर कायम है एवं प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 केश संख्या 259/97–98 दर्ज है, परंतु राजस्व कायम है एवं प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 केश संख्या 259/97–98 दर्ज है, परंतु राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदितानुसार द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है। प्रथम पक्ष के द्वारा दा0 खा0 केश संख्या 259/97–98 का छायाप्रति समर्पित किया एवं अपने लिखित बयान के क्रमांक 14 पर उल्लेख किया है कि दा0 खा0 केश संख्या 259/97–98 का रैयत सोहरय यादव, पिता रधनु यादव, ग्राम डुमरीया, खाता संख्या 55, प्लॉट सख्या 992, रकवा 0.03 दर्ज है जो कि विधि संगत नहीं है एवं द्वितीय पक्ष के द्वार पश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश

के आलोक में नहीं किया गया एवं उनके किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश की प्रति समर्पित नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित बयान में उल्लेख किया कि खेवट संख्या 05 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 05 सामिलात मालिकान मुनदरजे खेवट संख्या 03 वो खेवट संख्या 04 अंकित है। खेवट संख्या 03 का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसके खेवटदार चुल्हन कुम्हार वगै0 दर्ज है तथा खेवट संख्या 04 भी चुल्हन कुम्हार 1 (एक) हिस्सा के मुल्हन कुम्हार 1 (एक) हिस्सा दर्ज है। खेवट में गणेश प्रसाद सिंह कही भी दर्ज नहीं है। इसलिये गणेश प्रसाद सिंह का हुकुमनामा देने का कोई अधिकार नहीं था। CNT Act 1098 के धारा 73 के अनुसार प्रावधानित है कि खतियानी रैयत से निम्न परिस्थिति में भूमि को निलाम किया जा सकता है।

- रैयत अगर गाँव छोड़कर भाग गया हो।
- रैयत अगर जमीन्दार की लगान नहीं दिया हो

उपरोक्त परिस्थिति में भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में भूमि को निलाम करने हेतु वाद दायर किया जाता था। वहॉ से कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत उक्त भूमि की निलामी होती थी तदोपरांत किसी रैयत को हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्त किया जाता था। परंतु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि निलामी से संबंधित किसी भी प्रकार का राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा गणेश प्रसाद सिंह भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा निर्गत हुकुमनामा की छायाप्रति समर्पित किया गया है जबकि गणेश प्रसाद सिंह प्रश्नगत भूमि का खेवटदार नहीं थे उक्त आलोक में इन्हे प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्त कने का वैधानिक अधिकार नहीं था। जो कि अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होता हैं। उर्पयुक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते है कि मौजा लोहसिंघना खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 रैयती खाते की भूमि की कायम जमाबंदी

धनेश्वरी देवी जो कि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर अंकित है। उक्त जमाबंदी CNT Act 1908 की धारा 73 के अनुसार संदेहात्मक प्रतीत होता है। चूँकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि का कायम जमाबंदी से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का प्रति समर्पित नहीं किया गया है। उक्त अलोक में मौजा लोहसिघंना खाता संख्या 37 प्लॉट संख्या 234 रकवा 0.91 ए0 भूमि की कायम जमाबंदी धनेश्वरी देवी के नाम से जो कि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर अंकित है। उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती हैं।''

उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त अभिलेख एवं कागजात तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित **बिन्दु परिलक्षित होते है :–**

1. खतियानी रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. द्वितीय पक्ष की मां धनेश्वरी देवी, पति–पनु यादव के नाम से जमाबंदी कायम ।
5. द्वितीय पक्ष का लंबे समय से दखल कब्जा का मामला।

1. खतियानी रैयती भूमि का मामला:– **अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–** ''खतियान के अनुसार मौजा–लोहसिंघना के खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, कुल रकवा 0.91 ए0 भूमि रैयती खाते की भूमि है। प्रतिवेदित भूमि का खतियानी रैयत मंगर चमार, पिता–झरी चमार हैं।''

2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा:– **अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि**–यह अभिलेख अजय दास,

पिता–स्व0 सीताराम दास बनाम तुलसी यादव, पिता–स्व0 पन्नु यादव दोनो ग्राम–लोहसिंघना के बीच खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 भूमि से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया गया कि मौजा–लोहसिंघना, खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, रकवा 0.91 ए0 भूमि आवेदक के परदादा स्व0 मंगल चमार, पिता–स्व0 झरी चमार के नाम से खतियानी भूमि है। उक्त भूमि पर तुलसी यादव, पिता स्व0 पन्नु यादव, ग्राम–लोहसिंघना के द्वारा बाजबरन मकान निर्माण किया जा रहा है।''

3. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावाः–

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख में अंकित राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–''मौजा–लोहसिंघना के खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, कुल रकवा 0.91 0 भूमि आवेदक के छरदादा मंगल चमार, पिता झरी चमार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। भूमि रैयती खाते की हैं। स्थानीय जॉच किया एवं पाया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के द्वारा मकान कार्य का निर्माण किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि पर धारा 144 न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा लगाया गया है। प्रश्नगत भूमि का राजस्व कागजात का अवलोकन किया जिसमें पाया कि द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के मॉ धनेश्वरी देवी के नाम से पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 दर्ज है। **द्वितीय पक्ष को भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है।** ग्रमीणों से पुछताछ किया जिसमें लोगो के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का लगभग 50–60 वर्ष से दखल–कब्जा है।'' **यह कि प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि** प्रश्नगत खाता संख्या 37, खेवट संख्या 05 से बना जो शामिलात मालिकान खेवट संख्या 05 दर्ज हैं। प्रथम पक्ष ने अपने लिखित कथन में आगे यह भी

कथन किया है कि खेवट संख्या 05 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 05 शामिलात मालिक मुन्दरजे खेवट संख्या 03 एवं 04 अंकित है। खेवट संख्या 03 का खेवटदार चुल्हन कुम्हार 01 हिस्सा वो मुल्हन कुम्हार 01 हिस्सा दर्ज है। खेवट संख्या 04 का अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि खेवट संख्या 04 का खेवटदार चुल्हन कुम्हार वो मुल्हन वगैरह के नाम से दर्ज है। उपरोक्त खेवट में कही भी गणेश नारायण सिंह का नाम दर्ज नहीं है, इसलिये गणेश प्रसाद सिंह को द्वितीय पक्ष के पूर्वज धनेश्वरी देवी के नाम से हुकुमनामा के द्वारा जमीन बंदोबस्त करने अधिकार नहीं था।

4. द्वितीय पक्ष की मां धनेश्वरी देवी, पति–पनु यादव के नाम से जमाबंदी कायमः– **अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख में अंकित राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–**''मौजा–लोहसिंघना के खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 234, कुल रकवा 0.91 0 भूमि आवेदक के छरदादा मंगल चमार, पिता झरी चमार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। भूमि रैयती खाते की हैं। स्थानीय जॉच किया एवं पाया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के द्वारा मकान कार्य का निर्माण किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि पर धारा 144 न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा लगाया गया है। **प्रश्नगत भूमि का राजस्व कागजात का अवलोकन किया जिसमें पाया कि द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के मॉ धनेश्वरी देवी के नाम से पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 दर्ज है।**'' साथ ही साथ **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता** ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि–''प्रथम पक्ष द्वारा अंचल कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदन पत्र दाखिल किया, जिसके

आधार पर अंचल कार्यालय द्वारा राजस्व अभिलेख का अवलोकन के पश्चात् यह सूचना उपलब्ध कराते हुए कहा गया कि **दाखिल खारिज केस संख्या 259/1997–98 किस अन्य रैयत सोहराई यादव पिता रघनु यादव, ग्राम डुमरिया, थाना हंटरगंज के नाम से खाता संख्या 55, प्लॉट संख्या 992, रकवा 0.03 डी0 दर्ज है।** इस प्रकार विपक्षी द्वारा डिमाण्ड पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 259/1997–98 धनेश्वरी देवी के नाम से डिमाण्ड का दावा निराधार एवं विधि संगत नहीं है।''

5. द्वितीय पक्ष का लंबे समय से दखल कब्जा का मामला:– अचंल **अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख में अंकित राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–''** प्रश्नगत भूमि का राजस्व कागजात का अवलोकन किया जिसमें पाया कि द्वितीय पक्ष तुलसी यादव के मॉ धनेश्वरी देवी के नाम से पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 175/2 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केश संख्या 259/97–98 दर्ज है। **द्वितीय पक्ष को भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है।** ग्रमीणों से पुछताछ किया जिसमें लोगो के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का लगभग 50–60 वर्ष से दखल–कब्जा है।''

उपरोक्त तथ्यों के अलावे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण Judgement इस तरह है।

In the case of "Sitaram Choubey & Ors. - versus - State of Bihar & Ors., reported in 1993 (2) PLJR 255" as well as the Supreme Court in the case of of "Suraj Bhan & Ors.- versus- Financial Commissioner & Others, reported in (2007) 6 SCC 186" have held that entries in the revenue records does not confer title on a person whose name appears in record of-rights. The creation of Jamabandi neither creates any right and title in favour of one or the other nor cancellation of Jamabandi extinguishes right and title of actual owner. The entries in the revenue records or Jamabandi have only

"fiscal purpose" and be ownership in conferred on the basis of such entries. The title of the property can only be decided by a competent civil court.

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपल्बध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में Competent civil court/ सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

21.09.2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

21.09.2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

33
19.01

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:07:08 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9

19.01.22

13/01/22